प्रेस विज्ञप्ति
18/02/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एनएच–74 घोटाले के मामले में लगभग 13.89 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन, पंत नगर, उधम सिंह नगर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान, यह पता चला कि दिलबाग सिंह, जरनैल सिंह पुत्र सुंदर सिंह, बलजीत कौर पत्नी प्रताप सिंह और दलविंदर सिंह पुत्र प्रताप सिंह ने यू. पी. जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 143 के पिछले दिनांकित आदेशों को पास करवा लिया और बाद में राजस्व अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से उन्हें बाद की तारीख पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। इसके आधार पर उन्होंने गैर–कृषि दर पर एनएच–74 को चौड़ा करने के लिए अधिग्रहित की जा रही अपनी भूमि के लिए 26,02,83,930/- रुपये का अतिरिक्त मुआवजा धोखाधड़ी से प्राप्त किया। इस तरह उन्होंने सरकार को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया और खुद को लाभ पहुंचाया।

पीएमएलए के तहत ईडी की जांच से पता चला कि इस अवैध धन का उपयोग या तो उनके नाम पर अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया था या अन्य बैंक खातों या उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। पीओसी की पहचान के बाद, **13.89 करोड़ रुपये** (लगभग) की संपत्ति को कुर्क करने का अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है, जिसमें चल और अचल संपत्ति शामिल है।

इसके अलावा, ई.डी. ने इस मामले में पहले ही 3 अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर दिए हैं और विभिन्न आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत, पीएमएलए, देहरादून में 7 अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं।

आगे की जाँच जारी है।

NH-74 LAND ACQUISITION COMPENSATION FRAUD

1. THE FRAUDULENT SCHEME

CONVERSION OF AGRICULTURAL LAND TO NON-AGRICULTURAL by BACKDATED ORDERS



Excess Compensation at ₹26.02 Crore at Non-Agricultural Rate for NH-74 Widening Project



Huge **Financial Loss** to the **Govt.**
Corresponding Gains to **Themselves**



PoC used for **Purchasing Immovable Properties**



ACCUSED INVOLVED

- Mr. A
- Mr. B.
- Mr. C.
- Mr. D

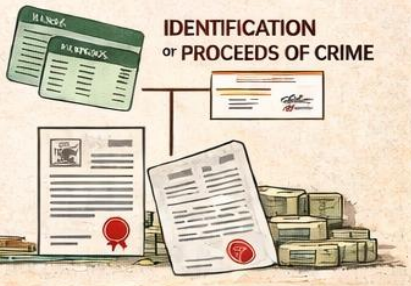
Revenue Officials & Middlemen

▸ **TOTAL ED ATTACHMENTS: ₹57.77 CRORE**

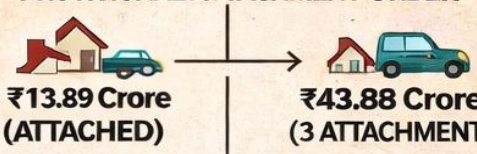
▸ **₹13.89 Crore** (ATTACHED)
₹43.88 Crore (PREVIOUS & ATACHMENTS)

2. THE ACTION BY ENFORCEMENT DIRECTORATE

DIRECTORATE OF ENFORCEMENT



PROVISIONAL ATTACHMENT ORDER



₹13.89 Crore (ATTACHED)

₹43.88 Crore (3 ATTACHMENT)





7 PROSECUTION COMPLAINTS FILED



7 PROSECUTION COMPLAINTS FILED

TOTAL ED ATTACHMENTS: ₹57.77 CRORE

₹13.89 Crore (ATTACHED) + **₹43.88 Crore** (PREVIOUS: 8 ATTACHMENTS)